प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग **32** संस्थाएं **(सूची संलग्न)**।

पत्रांकः प्राशिप/परिषद/2024/5931 **लखनऊः दिनांकः** 05-09-2024

विषयः परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप/परिषद/2024/3471, दिनांकः 02.08.2024, प्राशिप/परिषद/2024/3573, दिनांकः 07.08.2024, प्राशिप/परिषद/2024/5555, दिनांकः 20.08.2024 एवं प्राशिप/परिषद/2024/5735, दिनांकः 28.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 95/2024/ आई/694626/2024/16–3099/156/2019, दिनांकः 19 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू–राईज पोर्टल के माध्यम से दिनांकः 26.08.2024 करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के संबंध में परिषद कार्यालय द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी संलग्न सूची में अंकित **32** संस्थाओं द्वारा शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान दिनांकः 02.09.2024 तक यू–राईज पोर्टल के माध्यम से अभी तक नहीं किया गया है।

अतः संलग्न सूची में अंकित **32** संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान न किये जाने के संबंध में अपना **स्पष्टीकरण 03 कार्यदिवस** के अन्दर प्रत्येक दशा में परिषद कार्यालय के परिषद अनुभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परिषद के निर्देशों/आदेशों की अवहेलना करने एवं निर्दिष्ट कार्यवाही समयान्तर्गत न किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था प्रबंधन का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2024/5932-35 **तद्दिनांकः** 05-09-2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

S.No	Inst Code	Inst Name
1	1171	P C P S COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
2	1183	SHIVA POLYTECHNIC INSTITUTE OF MANAGEMENT COLLEGE
3	1185	EDIFI INSTITUTE OF POLYTECHNIC
4	1190	DR RAJENDRA PRASAD POLYTECHNIC
5	1193	NEELKANTH COLLEGE OF ENGINEERING
6	1512	SRI GIRIRAJ MAHARAJ POLYTECHNIC COLLEGE
7	1561	ISHWAR CHAND VIDHYA SAGAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
8	1567	HASTINAPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
9	1568	I V S POLYTECHNIC
10	1569	SURYA POLYTECHNIC FOR ENGINEERING & TECHNOLOGY
11	1577	SRI SAI COLLEGE OF EDUCATION AND TECHNOLOGY
12	1584	MAHARAJA AGRASEN POLYTECHNIC COLLEGE
13	1625	RADHA KRISHNA POLYTECHNIC COLLEGE
14	1641	CH. CHARAN SINGH COLLEGE OF ENGINEERING
15	2009	RAJIV GANDHI POLYTECHNIC
16	2229	INSTITUTE OF ENVIRONMENT AND MANAGEMEMT
17	2239	RAJIV GANDHI POLYTECHNIC
18	2247	MAA BHAGWATI EDUCATIONAL INSTITUTE
19	2256	URMILA COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
20	2263	GOKARAN NARVADESHWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
21	2282	BHONWAL SCHOOL OF ENGINEERING
22	2733	J.P.INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
23	2777	J.D. INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
24	3358	GANDHI INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
25	4437	MAA BUDDHA NATIONAL INSTITUTE OF ENGG. & TECHNOLOGY
26	4439	AMBITION INSTITUTE OF TECHNOLOGY
27	4445	YADUVANSHA PRASAD MISHRA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
28	4450	ALLAHABAD COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
29	4470	S P MEMORIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
30	4471	VIKAS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
31	4497	UNITECH INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
32	4843	R.K. POLYTECHNIC COLLEGE, SAKURABAD, JAHANABAD, FATEHPUR

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप/परिषद/2024/5735 **लखनऊः दिनांकः** 28-08-2024

विषयः परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप/परिषद/2024/5555, दिनांकः 20.08.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 95/2024/आई/694626/2024/16–3099/156/2019, दिनांकः 19 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू–राईज पोर्टल के माध्यम से दिनांकः 26.08.2024 करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को पुनः एवं अंतिम बार यह निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान दिनांकः 02.09.2024 तक अनिवार्य रूप से यू–राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। यू–राईज पोर्टल पर जो भी सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्रदर्शित हो रहा है, उसी का भुगतान किया जाना है। दिनांकः 02.09.2024 तक सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर सत्र 2024–25 का सम्बद्धता विस्तार पत्र जारी नहीं किया जायेगा। यह भी स्पष्ट करना है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रति पाठ्यक्रम (प्रति ब्रांच) है। साथ ही सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर परिषद द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी डाटा अग्रसारित नही किया जायेगा एवं न ही छात्र/छात्राओं का इनरोलमेन्ट कराया जयेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2024/5736-39 **तद्दिनांकः** 28-08-2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी, यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 5555 **लखनऊः दिनांकः** 20/08/2024

विषयः परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 3573, दिनांकः 07.08.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 95 / 2024 / आई / 694626 / 2024 / 16–3099 / 156 / 2019, दिनांकः 19 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू–राईज पोर्टल के माध्यम से दिनांकः 17.08.2024 करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान दिनांकः 26.08.2024 तक अनिवार्य रूप से यू–राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। यू–राईज पोर्टल पर जो भी सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्रदर्शित हो रहा है, उसी का भुगतान किया जाना है। दिनांकः 26.08.2024 तक सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर सत्र 2024–25 का सम्बद्धता विस्तार पत्र जारी नहीं किया जायेगा। यह भी स्पष्ट करना है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रति पाठ्यक्रम (प्रति ब्रांच) है।

उपरोक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि UP PRIVATE DIPLOMA ENGINEERING AND PHARMACY ASSOCIATION, PRAYAGRAJ द्वारा दिनांकः 12.08.2024 को अद्योहस्ताक्षरी को प्राप्त कराये गये ज्ञापन को प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांकः 12.08.2024 को संदर्भित कर दिया गया है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 5556-59 **तद्दिनांकः** 20/08/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 3573 **लखनऊः दिनांकः** 07/08/2024

विषयः परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 3471, दिनांकः 02.08.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 95 / 2024 / आई / 694626 / 2024 / 16–3099 / 156 / 2019, दिनांकः 19 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू–राईज पोर्टल के माध्यम से करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान दिनांकः 17.08.2024 तक अनिवार्य रूप से यू–राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। दिनांकः 17.08.2024 तक सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर सत्र 2024–25 का सम्बद्धता विस्तार पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सत्र 2024–25 हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क अभी जमा नहीं करना है। डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से सत्र 2024–25 हेतु अनुमोदन विस्तार प्राप्त होने के उपरान्त सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा करने हेतु अलग से सूचित किया जायेगा।

ऐसी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाऐं **(सूची संलग्न)** जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहा है, उन्हें सम्बद्धता विस्तार शुल्क अभी नहीं जमा करना होगा। ऐसी संस्थाओं को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सत्र 2024–25 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का अनुमोदन विस्तार प्राप्त होने के उपरान्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का सम्बद्धता विस्तार शुल्क एक साथ यू–राईज पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 3574-77 **तद्दिनांकः** 07/08/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 3471 लखनऊः दिनांकः 02/08/2024

विषयः परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 2068, दिनांकः 24.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को निर्देशित किया गया था कि परिषद द्वारा सम्बद्धता शुल्क जमा करने हेतु अलग से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे एवं सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बद्धता विस्तार पत्र प्रदान किया जायेगा।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 95 / 2024 / आई / 694626 / 2024 / 16–3099 / 156 / 2019, दिनांकः 19 जुलाई, 2024 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार सम्बद्धता विस्तार शुल्क निर्धारित किया गया है:–

मद / कार्य	निर्धारित शुल्क रूपये में
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थानों हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क	इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु रू0 25000+जी0एस0टी0 (रू0 पच्चीस हजार मात्र+जी0एस0टी0) प्रति पाठ्यक्रम

उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू–राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा।

इसके साथ यह भी अवगत कराना है कि ऐसी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाऐं **(सूची संलग्न)** जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहा है, उन्हें सम्बद्धता विस्तार शुल्क अभी नहीं जमा करना होगा। ऐसी संस्थाओं को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सत्र 2024–25 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का अनुमोदन विस्तार प्राप्त होने के उपरान्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का सम्बद्धता विस्तार शुल्क एक साथ यू–राईज पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 3472-75 तददिनांकः 02/08/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव